अध्याय III

स्थापनों एवं श्रमिकों का पंजीकरण

3.1 स्थापनों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधान उस 'प्रत्येक स्थापन' पर लागू होते हैं, जिसमें किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य[1] में दस या अधिक भवन कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह माह में किसी भी दिन नियोजित थे । बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत स्थापन से अभिप्रेत सरकार का या उसके नियंत्रण के अधीन कोई स्थापन, कोई निगमित निकाय या फर्म, कोई व्यष्टि या व्यष्टि संगम या अन्य व्यष्टि निकाय, जो किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में भवन कर्मकारों को नियोजित करता है और इसमें संवेदक से संबंधित स्थापन भी शामिल है ।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, किसी स्थापन के संबंध में प्रत्येक नियोजक[2], जिस पर यह अधिनियम लागू है, उसे कार्य प्रारंभ होने के 60 दिवस की अवधि के भीतर उस क्षेत्र, जिसमें भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, के पंजीयन अधिकारी को आवेदन करना होगा ताकि ऐसे स्थापन का पंजीकरण किया जा सके । नियोजक द्वारा आवेदन करने, शुल्क का भुगतान करने और श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली 'श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस)' के माध्यम से की गई थी । स्थापन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, नियोजक को स्थापन का नाम और स्थान जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, कार्य की प्रकृति, किसी भी दिन नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या, कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की अनुमानित दिनांक, आदि जैसे विवरणों का उल्लेख करना होता है ।

स्थापनों के पंजीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

---

[1] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को परिभाषित किया गया है जिसमें भवनों का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या नष्टीकरण और सड़कों, रेलवे, ट्रॉमवेज, हवाई क्षेत्र, सिंचाई, जल निकासी, आदि और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं ।

[2] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 2 (1) (झ) के अनुसार, किसी स्थापन के संबंध में, "नियोजक" से उसका स्वामी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है: (i) किसी संवेदक के बिना सीधे सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, या जहाँ कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है वहां, विभागाध्यक्ष; (ii) किसी संवेदक के बिना सीधे किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य स्थापन द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में उस प्राधिकरण या स्थापन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी; (iii) किसी संवेदक द्वारा या उसके माध्यम से अथवा किसी संवेदक द्वारा प्रदाय किए गए भवन कर्मकारों के नियोजन द्वारा किये जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, संवेदक ।

3.1.1 राज्य और चयनित जिलों में स्थापनों का पंजीकरण

स्थापन का पंजीकरण नियोजक को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के दायरे में लाता है, जिससे सन्निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों की अनुपालना सुनिश्चित होती है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक राज्य में केवल 2,949 संस्थान ही पंजीकृत थे । वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य और नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में स्थापनों के पंजीकरण का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.1: राज्य और नमूना जाँच किये गये जिलों में पंजीकृत स्थापनों की संख्या

वार्षिक पंजीकरण	पंजीकृत स्थापनों की संख्या					
	राज्य	जयपुर	धौलपुर	करौली	जोधपुर	कोटा
31.03.2017 तक पंजीकृत स्थापनों की संख्या	485	171	0	7	12	44
2017-18	478	179	0	55	14	23
2018-19	458	111	0	10	19	36
2019-20	696	325	0	4	12	36
2020-21	456	140	0	3	10	62
2021-22	376	77	2	0	5	30
कुल	**2,949**	**1,003**	**2**	**79**	**72**	**231**

स्रोत - श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस) के अनुसार ।

तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक राज्य में पंजीकृत स्थापनों की संख्या 2,949 थी और चयनित पांच जिलों में इनकी संख्या 1,387 थी ।

इसके अतिरिक्त, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या सभी निर्माण स्थापन अपना पंजीकरण करा रहे थे, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित चयनित नमूनों में पंजीकरण की जाँच की (i) निर्माण कार्य निष्पादन विभागों द्वारा वर्ष 2017-22 के दौरान निष्पादित 44 निर्माण कार्य, (ii) वर्ष 2017-22 के दौरान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण[3] (रेरा) के साथ पंजीकृत 40 निर्माण परियोजनाएं, (iii) 15 अपंजीकृत स्थापन, (iv) कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (एफबीआईडी) के 55 निरीक्षण प्रतिवेदन (v) 157 निर्धारण पत्रावलियां और (vi) नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में योजना प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाएं । लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

[3] राज्य में भू-सम्पदा क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए रेरा की स्थापना की गई थी । सभी भू-सम्पदा परियोजनाएं जिनमें विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक है और विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अपार्टमेंटों की संख्या आठ से अधिक है, उन्हें रेरा के साथ पंजीकरण कराना होगा ।

- निर्माण कार्य निष्पादित करने वाले विभागों के पास चयनित 44 निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस जानकारी के अभाव में, नमूना जाँच किये गए पांच जिलों में इन निर्माण कार्यों के पंजीकरण की आवश्यकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। यद्यपि, श्रम विभाग के आंकड़ों के साथ मिलान करने पर यह पाया गया कि इन चयनित 44 निर्माण कार्यों में से 42 निर्माण कार्य बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे।

- नमूना जाँच की गई 40 रेरा पंजीकृत परियोजनाओं[4] में से 32 (80 प्रतिशत) परियोजनाएं बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थीं। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने अवगत (जुलाई 2024) कराया कि श्रम विभाग के पास रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किये गये 15 चयनित अपंजीकृत स्थापनों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि उनमें से आठ (53 प्रतिशत) स्थापनों में 10 से अधिक बीओसी श्रमिक नियोजित थे, अतः इन स्थापनों को पंजीकृत होना चाहिए था।

- श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों के निरीक्षण का कार्य राजस्थान सरकार के कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (एफबीआईडी) को सौंपा था। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में एफबीआईडी, राजस्थान सरकार के 55 निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जाँच की और पाया कि 10 या अधिक बीओसी श्रमिक वाले 26 स्थापनों में से केवल तीन स्थापन बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत थे। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2024) कि इन स्थापनों के पंजीकरण हेतु जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

- चयनित पांच जिलों की चुनी गई 157 निर्धारण पत्रावलियों[5] की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 55 स्थापनों को निर्धारण पत्रावलियों में पंजीकृत के रूप में चिह्नित किया गया था। शेष 102 स्थापनों की निर्धारण पत्रावलियों में पंजीकरण के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 102 स्थापनों में से आठ स्थापनों में 10 से अधिक बीओसी श्रमिक नियोजित थे और नियोजित श्रमिकों का विवरण सर्वेक्षण प्रपत्र[6]/प्रपत्र-I[7] में निर्धारण पत्रावलियो में उपलब्ध था, अतः इन्हें पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था।

---

[4] धौलपुरः 5; जयपुरः 4; जोधपुरः 14; करौलीः 1 और कोटाः 16।

[5] निर्धारण पत्रावलियां किसी स्थापन के संबंध में उपकर के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित होती है और इसमें निर्माण लागत, देय उपकर की गणना, निर्धारण आदेश और संग्रहित किए गए वास्तविक उपकर जैसे विवरण शामिल होते हैं।

[6] सर्वेक्षण, उन स्थापनों की पहचान करने की एक प्रमुख विधि है जो अधिनियम के दायरे में आते हैं और जहां उपकर लगाया जा सकता है।

[7] बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमों के नियम 6(1) के अनुसार, प्रत्येक नियोजक, कार्य शुरू होने के तीस दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र-I में सूचना प्रस्तुत करेगा।

- चयनित पांच जिलों में नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इनमें से कोई भी स्थापन श्रम विभाग के अधीन पंजीकृत नहीं थे।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विभाग की अपर्याप्त निगरानी के कारण बड़ी संख्या में पात्र स्थापन अपंजीकृत रह गए।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि विभाग में मानवश्रम की कमी है और विभाग द्वारा 22 श्रम संबंधी अधिनियमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की भावना के अनुसरण में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा निर्माण कार्यों में संलग्न स्थापनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

3.1.2 निर्माण कार्य निष्पादन विभागों/नियोजन प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करना

(i) विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं पंजीकरण और उपकर संग्रहण की समग्र दक्षता में सुधार हेतु जिला स्तरीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स (बीटीएफ) का गठन करने के निर्देश प्रदान (15 सितंबर 2015) किये गये थे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में श्रम विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी बीटीएफ के संयोजक थे। बीटीएफ को महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना और राज्य सरकार के विभागों/अन्य निकायों द्वारा शुरू किए गए सभी लोक निर्माण कार्यों, इन कार्यों के पंजीकरण की स्थिति, इन कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण और उपकर के संग्रहण के संबंध में सूचना साझा किया जाना अपेक्षित था।

नमूना जाँच किये गये जिलों में अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान आयोजित बीटीएफ की बैठकों में विभिन्न विभागों को श्रम विभाग के साथ जानकारी साझा करने के लिए केवल निर्देश ही प्रदान किये गए थे। हालांकि, इन विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों/नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं से संबंधित जानकारी श्रम विभाग से साझा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये चार जिलों में से प्रत्येक में 60 बैठकों के लक्ष्य की तुलना में केवल तीन से 18 बैठकें[8] ही आयोजित की गई थी।

(ii) श्रम विभाग, राजस्थान सरकार ने भी सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी (30 सितंबर 2015) किए कि वे राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सभी लोक निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त करें ताकि स्थापनों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

चयनित पांच जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्रम अधिकारियों द्वारा कार्य निष्पादन विभागों और स्थानीय निकायों से निर्माण कार्यों की कोई सूची प्राप्त नहीं की गई थी।

[8] जोधपुर : 3, कोटा : 18, जयपुर : 3 और करौली : 6।

उपरोक्त स्थिति यह दर्शाती है कि श्रम विभाग द्वारा कार्य निष्पादन विभागों/स्थानीय निकायों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने और सूचना प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका उपयोग पंजीकरण के लिए पात्र सभी स्थापनों को दायरे में शामिल करने के लिए किया जा सकता है।

3.1.3 स्थापनों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक जो बीओसी श्रमिकों को नियोजित कर निर्माण करवा रहा हो तो उसे कार्य प्रारंभ होने से 60 दिनों के भीतर स्थापन के पंजीकरण के लिए जिले के पंजीयन अधिकारी को एक आवेदन करना होगा। परंतु यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि किसी पर्याप्त कारणवश आवेदक समय पर आवेदन नहीं कर सका तो 60 दिवस की निर्धारित अवधि के बाद भी ऐसे किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, पंजीकरण में विफलता/देरी होने पर ₹ 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में 2,464 स्थापन पंजीकृत किये गए, जिनमें से 990 प्रकरणों (40.18 प्रतिशत) में नियोजकों ने निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अतिरिक्त एक से 1,635 दिनों की देरी से स्थापनों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

इसी प्रकार, नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में, 1,153 पंजीकृत स्थापनों में से 551 (48 प्रतिशत) में नियोजकों ने वर्ष 2017-22 के दौरान निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अतिरिक्त एक से 1,635 दिनों की देरी के साथ स्थापनों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था जिसका विवरण निम्न **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: स्थापनों के पंजीकरण में देरी का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनों की कुल संख्या	निर्धारित 60 दिनों के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नियोजकों की संख्या	देरी (दिनों में)
	राज्य	2,464	990	1 से 1,635
1.	धौलपुर	02	01	113
2.	जयपुर	832	378	1 से 1,635
3.	करौली	72	55	3 से 785
4.	कोटा	187	93	4 से 1,051
5.	जोधपुर	60	24	09 से 772
कुल		**1,153**	**551 (47.79%)**	

राजस्थान सरकार ने अवगत (अक्टूबर 2024) कराया कि 76 प्रकरणों में ₹ 1.43 लाख का जुर्माना लगाया गया था। इससे यह इंगित होता है कि शेष 914 प्रकरणों में जुर्माना नहीं लगाया गया था।

3.1.4 कार्य प्रारंभ होने की वास्तविक दिनांक और पूर्ण होने की संभावित दिनांक की सूचना न देना

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 20(3) और 66(1) के अनुसार, स्थापनों को कार्य शुरू होने के 30 दिन पहले वास्तविक प्रारंभ की दिनांक और उनके द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के पूर्ण होने की संभावित दिनांक की सूचना क्षेत्राधिकार के श्रम निरीक्षक को निर्धारित प्रपत्र में देनी चाहिए। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 48 में ऐसी सूचना देने में विफलता के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान चयनित जिलों में पंजीकृत 1,153 स्थापनों में से केवल 52 प्रकरणों (कोटा जिला) में ही श्रम निरीक्षक द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त की गई। यह भी पाया गया कि शेष 1,101 पंजीकृत स्थापनों में से केवल 37 प्रकरणों[9] (तीन प्रतिशत) में जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि विभाग में मानवश्रम की कमी है और विभाग द्वारा 22 श्रम संबंधी अधिनियमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की भावना के अनुसरण में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा निर्माण कार्यों में संलग्न स्थापनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

3.2 श्रमिकों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 में यह निर्धारित है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जो पिछले बारह माह के दौरान किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिनों तक की अवधि के लिए नियोजित रहा हो, वह बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

सितंबर 2016 से, श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित 'श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली' (एलडीएमएस) नामक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसमे निर्धारित दस्तावेजों (आयु का प्रमाण, भवन या निर्माण कार्य में नियोजन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या जन आधार/भामाशाह कार्ड और फोटोग्राफ आदि) के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक सामान्यतः इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत साइबर कियोस्क (ई-मित्र), जो नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करते हैं, का उपयोग करते हैं।

[9] जयपुरः छह प्रकरण, कोटाः 21 प्रकरण और जोधपुरः 10 प्रकरण।

3.2.1 राज्य और चयनित जिलों में श्रमिकों का पंजीकरण

एलडीएमएस आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में मार्च 2022 तक 30.10 लाख बीओसी श्रमिक पंजीकृत थे। राज्य व चयनित पांच जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: राज्य व चयनित पांच जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या

वर्ष	राज्य	जयपुर	जोधपुर	धौलपुर	करौली	कोटा
2017-18	11,14,172	70,677	52,407	21,096	28,670	13,324
2018-19	5,61,704	21,648	12,275	15,443	26,802	8,652
2019-20	72,553	4,895	2,548	4,718	8,284	3,880
2020-21	2,24,771	18,149	7,412	9,117	6,094	8,507
2021-22	2,16,834	8,539	20,267	5,690	1,302	6,937

स्रोतः श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस)।

उपरोक्त तालिका यह इंगित करती है कि राज्य में श्रमिकों का वर्षवार पंजीकरण, वर्ष 2017-18 में 11,14,172 से तीव्र रूप से घटकर वर्ष 2019-20 में केवल 72,553 रह गया। हालांकि, वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 2,16,834 हो गया। नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में भी यही प्रवृत्ति पाई गई।

नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में 447 श्रमिकों वाले 27 स्थापनों (12 पंजीकृत स्थापनों सहित) के भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 27 श्रमिक (छह प्रतिशत) पंजीकृत थे और शेष 420[10] श्रमिक पंजीकृत नहीं पाए गए।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि बहुत से गैर-बीओसी श्रमिक बीओसी श्रमिकों के रूप में पंजीकृत पाए गए थे, इसलिए पंजीकरण सस्ती से किये गये थे, जिससे पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में कमी आई।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रासंगिक क़ानूनी ढांचे के तहत स्थापनों और बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण अंतराल था। वर्ष 2017 और 2022 के बीच, राज्य में केवल 2,464 स्थापन पंजीकृत थे, जिनमें से 40.18 प्रतिशत ने निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। श्रम विभाग ने निर्माण कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों से लोक निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त नहीं की, जिसके कारण अधिनियम के तहत स्थापनों के आवश्यक पंजीकरण का दायरा अपूर्ण रहा।

[10] जयपुरः 100; जोधपुरः 98; धौलपुरः 19; करौलीः 91 और कोटाः 112।

मार्च 2022 तक, राजस्थान में 30.10 लाख बीओसी श्रमिक पंजीकृत थे। हालांकि, चयनित पांच जिलों में 27 स्थापनों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कुल नियोजित श्रमिकों में से केवल छह प्रतिशत ही वास्तव में पंजीकृत थे, जो सभी पात्र श्रमिकों के पंजीकरण हेतु प्रणाली में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

अनुशंसा 2: श्रम विभाग को सभी निर्माण कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि चल रहे और पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में समय पर एवं सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र स्थापनों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।